न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 52/2009 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

1. जयशिव पुत्र दिलीप कुमार जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी मुढेरा सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. श्रीमती मंजू पुत्री दिलीपकुमार जाति बागरी ब्रा0 निवासी मुढेरा सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर जरिए मुख्त्यार आम जयशिव पुत्र दिलीप कुमार।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार रूपवास वहैसियत लैण्ड होल्डर।
3. ललिताप्रसाद } पिसरान नंगाराम जाति बागरी ब्रा0 निवासी कस्बा रूपवास जिला भरतपुर।
4. मुरारीलाल }

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 45/2009 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

1. ललिताप्रसाद } पिसरान श्री नंगाराम जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
2. मुरारीलाल }

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जयशिव पुत्र दिलीप कुमार } जाति ब्राहम्ण निवासी मुढेरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. मंजू पुत्री दिलीप कुमार }

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2009 प्रकरण संख्या 05/99 उनवान दिलीपकुमार बनाम जिला कलक्टर वगै0 एवं 105/99 उनवानी ललिताप्रसाद वगै0 बनाम दिलीप कुमार न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री दिनेश चन्द शर्मा अधिवक्ता रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–07.02.2018

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 29.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूॅकि दोनों अपीलो के तथ्य, पक्षकार एवं विवादित भूमि एक

समान हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक वाद, सख्या 05/99 अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 974 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम मुढेरा तहसील रूपवास पर अपीलाण्ट/वादीगण राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने के पूर्व से ही वहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। किन्तु उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में रामदेव पुत्र हरनारायण कौम जांगडा ब्राहम्ण सा0देह मुढेरा के नाम खातेदारी का इन्द्राज खिलाफ मौका दर्ज हो रहा है। रामदेव के लाबल्द बिला औरत फौत होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त विवादित आराजी को लावारिस करार कर, दीगर व्यक्तियों को अलॉट करने एवं अपीलाण्ट/वादीगण को अपने कब्जा हटाने की धमकी दी है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में अपीलांट/वादीगण को खातेदार काश्तकार काबिज आराजी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. दूसरा वाद, संख्या 105/99 अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा उसी खसरा नम्बर 974 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा को लेकर अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी रामदेव की स्वयं की पैदाकर्दा, कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। रामदेव ने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट/वादीगण के हक में दिनांक 15.11.1994 को अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी थी तभी से अपीलाण्ट/वादीगण, रामदेव के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा वसीयत के आधार पर उनके नाम दाखिल खारिज भी हो चुका है। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.08.1999 को अपीलाण्ट/वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादो को कन्सोलिडेट किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 29.04.2009 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 52/2009 उनवान जयशिव बनाम राज0 सरकार व अन्य एवं 45/2009 उनवान ललिताप्रसाद बनाम जयशिव, इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

6. अपीलाण्ट जयशिव के विद्वान अभिभाषक ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी पर रामदेव कभी भी, किसी भी हैसियत से काबिज नहीं रहा है, ना ही अपने जीवनकाल में दिनांक 15.11.1994 को या अन्य किसी तारीख को उसने कोई वसीयत करवाई, वसीयत रामदेव की मृत्यु के बाद फर्जी बनाई गई है। विवादित भूमि के अपीलाण्ट खातेदार हैं व अपीलाण्ट के बाबा की खेवट का उनका घरू नम्बर है, जिस पर अपीलाण्ट के बाबा की खातेदारी संवत 2018 तक रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजी को संवत 2018 के बाद खिलाफ कानून चारागाह दर्ज कर दिया गया, जबकि OCCUPIED खातेदारी की जमीन को चारागाह दर्ज करने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का कोई नियम नहीं है। चारागाह दर्ज करने के बाद संवत 2026 में इसका मृतक रामदेव शर्मा के नाम नियमन कर दिया गया, जो गलत व कानून के विरूद्ध किया गया है। वसीयत पूर्णतयाः कूटरचित दस्तावेज है एवं ना ही वसीयत में विवादित आराजी खसरा नम्बर का कोई जिक्र है। अतः रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। विवादित आराजी में अपीलाण्ट का बोरिंग लगा हुआ है एवं अपीलाण्ट की अन्य आराजी से सटा हुआ है। विवादित आराजी संवत 2026 में चारागाह दर्ज रिकार्ड थी एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चारागाह की जमीन को किसी को एलोट करके उसका नियमन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं को नजरअन्दाज करते हुए, जो निर्णय दिया है वह अवैधानिक व काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विश्वास ना करते हुए, दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 29.04.2009 अपास्त किये जाने एवं दावा संख्या 05/2009 अपीलाण्ट के हक में डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

7. अपीलाण्ट ललिताप्रसाद के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी मृतक रामदेव की स्वयं की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी एवं रामदेव ने अपने जीवनकाल में ही ललिताप्रसाद व मुरारीलाल के हक में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी थी। ललिताप्रसाद व मुरारीलाल रामदेव के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में असल वसीयतनामा को गवाहन के बयानो से साबित भी किया गया है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा पर विश्वास ना करते हुए निर्णय व डिक्री जेर अपील देने में कानूनी भूल की है। वसीयतनामा के आधार पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र खसरा नम्बर 42 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम कुन्दनवाडा तहसील रूपवास का अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बयाना से चाहा गया था वह प्रार्थना पत्र उत्तराधिकार वसीयतनामा दिनांक 15.11.1994 के आधार पर स्वीकार कर ललिताप्रसाद व मुरारीलाल के हक में दिनांक 20.03.1997 को जारी किया गया है। विवादित आराजी पर कब्जा काश्त व खातेदारी बखूबी साबित है तथा मृतक रामदेव के बाद आराजी मुतनाजा का दाखिल खारिज भी ललिताप्रसाद व मुरारीलाल के हक में हो चुका है, जो आज भी जेर कार्यवाही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर कब्जा व खातेदारी ना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में जयशिव की ओर से कोई विवादित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 29.04.2009 को निरस्त फरमाया जावें तथा वाद संख्या 105/99 डिक्री किया जाकर ललिताप्रसाद व मुरारीलाल को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट दिलीप (जयशिव) वगै0 विवादित आराजी को राज0काश्तकारी अधिनियम तथा राज0 जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रावधान लागू होने के पूर्व से ही स्वयं को वहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी कथन करते हुए, राजस्व रिकार्ड में रामदेव पुत्र हरनारायण के नाम हो रहे खातेदारी इन्द्राज को खिलाफ मौका होने का दावा करते हैं। इसके विपरीत अपीलाण्ट ललिताप्रसाद, मुरारीलाल पुत्रान नंगाराम, विवादित आराजी के खातेदार रामदेव द्वारा समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत स्वयं के नाम होने पर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वसीयत के आधार पर, विवादित आराजी पर वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होने का दावा करते हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों दावों को कन्सोलिडेट किया जाकर दावे एवं जवाब दावे के आधार पर दादरसी सहित 9 तनकियॉ कायम की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

9. तनकी संख्या 01 व 04 :– तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट दिलीप(जयशिव) पर तथा तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट (ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) पर था। यह दोनों तनकी विवादित आराजी पर खातेदार घोषित कराने बाबत् हैं। तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट दिलीप(जयशिव) व तनकी संख्या 04 अपीलाण्ट (ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) के कथनो के आधार पर बनाई गई हैं। यह दोनों तनकियॉ समान अर्थी व एक दूसरे के पूरक होने के कारण हम एक साथ विवेचना किया जाना उचित समझते हैं।

(अ) तनकी संख्या 01, अपीलाण्ट दिलीप (जयशिव) वगै0 का तर्क है कि भिक्की दिलीप कुमार का पिता व अन्य अपीलाण्ट का बाबा था। भिक्की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने से पूर्व से ही वहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् दिलीप कुमार व दिलीप कुमार की मृत्यु के पश्चात् अन्य अपीलाण्ट जयशिव वगै0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होने के कारण खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है। किन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मृतक भिक्की के वारिस होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य, सजरा अथवा वंशावली पेश नहीं की गयी है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी या संवत 2012 से पूर्व का रिकार्ड ही पेश किया है, जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाण्ट दिलीप(जयशिव) वगै0 को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

(ब) तनकी संख्या 04, अपीलाण्ट(ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) का तर्क है कि रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल में उनके पक्ष में एक वसीयत दिनांक 15.11.1994 को निस्पादित की गई थी। उक्त वसीयत के आधार पर वह मृतक रामदेव के उत्तराधिकारी हैं। परन्तु उनके द्वारा रामदेव के एक मात्र वारिस व कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किये जाने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नम्बर 01 बयाना द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.2004 से उभयपक्ष के गवाहो के विरोधाभासी बयानों व अन्य बिन्दुओं की सुस्पष्ट विवेचना के आधार पर वसीयत दिनांक 15.11.1994 को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुकूल नहीं मानते हुए, संदेहास्पद माना जाकर खारिज कर दिया। अतः उक्त आदेश के प्रभावी रहते, अपीलाण्ट(ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) भी विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा विवादित आराजी बाबत् कब्जे काश्त के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनका विवादित आराजी में कब्जा काश्त साबित हों।

10. तनकी संख्या 02 विवादित भूमि में मृतक रामेदव का खातेदारी का इन्द्राज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज होनें एवं रामदेव के लाबल्द फौत होने व कोई कानूनी वारिस नहीं होने बाबत् है। चूंकि तनकी संख्या 01 व 04 की विवेचना में यह स्पष्ट हो चुका है कि उभयपक्ष मौके पर काबिज काश्त नहीं है एवं ना ही वह मृतक रामदेव के विधिक वारिस हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट दिलीप(जयशिव) एवं अपीलाण्ट(ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) तय की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. तनकी संख्या 03, पटवारी हल्का द्वारा धमकी दिये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत् है। अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना से भी हम सहमत हैं। उभयपक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि पर उनका कोई कब्जा काश्त संवत 2012 के पूर्व में अथवा उसके बाद कभी रहा हो। अतः उभयपक्ष रैस्पो0 राजस्थान सरकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है।

12. तनकी संख्या 05,6,7,8 तनकी संख्या 01 लगायत 4 के विवेचन से प्रभावित हैं। अतः इनकी विवेचना किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

13. दादरसी :– सभी तनकियात निर्णीत की जा चुकी हैं। अपीलाण्ट दिलीप (जयशिव) वगै0 एवं अपीलाण्ट(ललिताप्रसाद व मुरारीलाल) अपने दावों को सिद्ध करने में पूर्णतयाः असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

14. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2009 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

15. निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official